उत्तराखण्ड में राजभाषा और संस्कृत की भाषिक स्थिति

डॉ. अर्चना रानी
असि.प्रो. हिन्दी
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
कोटद्वार (गढ़वाल)

समस्त प्राणियों में मानव अपनी भाषा के कारण भी प्रकृति की एक श्रेष्ठतम रचना है। जानवरों या मनुष्येतर प्राणियों की भी जीभ रहती है जिससे वे तरह-तरह की ध्वनियाँ निकाला करते हैं। मनुष्य की भाँति उनमें भी विभिन्न भावों का संचार होता है। परन्तु उनके पास भाषा नहीं है, जिसके द्वारा वे अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकें। लेकिन मनुष्य के पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर वह अपने अन्दर के अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देता है, जिसे सुनने वाला सुनता है और एक सही अर्थ में अभिव्यक्त करता है।

हिन्दी आज स्वतन्त्र भारत की संविधान सम्मत राजभाषा है, किन्तु अँग्रेजी का वर्चस्व भस्मासुर की तरह निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। स्वतन्त्रता पूर्व जिन क्षेत्रों में राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग एवं प्रसार व्यापक रूप में किया जाता था, आज वहाँ भी अँग्रेजी का बोलबाला है। भारतीय संविधान के आठवें अनुच्छेद में भारत में सर्वाधिक प्रयुक्त 22 भारतीय भाषाओं को अनुसूचित किया गया है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सह-राजभाषा, द्वितीय राजभाषा, राज्य-भाषा, और सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी की स्थिति पूरी तरह उलझी हुई दिखाई पड़ती है।

आज हिन्दी को राजभाषा बने कई वर्ष हो चुके हैं। प्रौढ़ावस्था में पदार्पण करने वाली राजभाषा हिन्दी का वास्तविक रूप, स्थिति यहाँ तक कि उसका नाम तक पहचानने के प्रयत्न नहीं किए गए। परिणामस्वरूप राजभाषा हिन्दी का विवेचनात्मक अध्ययन अछूता रहा। अब राजभाषा हिन्दी को लेकर राजनीतिक, भाषा-वैज्ञानिक तथा साहित्यिक स्तर पर विष्लेशणात्मक विचार-विमर्श चल पड़ा है, इस विचार-मंथन को समग्र रूपक में बाँधना और रचनात्मक निष्कर्षों पर पहुँचना आवश्यक हो गया है।

भारत एक बहुभाषी देश है, जिसकी संप्रेषण व्यवस्था में हिन्दी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आदिकाल से ही इसका प्रचलन बोलचाल की भाषा, सम्पर्क भाषा, साहित्य की भाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में निरन्तर चला आ रहा है। आज वह प्रशासन, विधि, वाणिज्य-व्यापार, बैंक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में पदार्पण कर, विषय-विशेष या क्षेत्र-विशेष के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हिन्दी का यह प्रयोजनमूलक रूप ही इसकी शक्ति बन गया है। हर भाषा का अपना शब्द भण्डार, अपनी लेखन शैली, अपनी व्याकरणिकता होती है। जो उस भाषा को अन्य भाषाओं से पृथक करती है। जब कोई भाषा अलग-अलग क्षेत्रों में व्यवहार की भाषा बन जाती है, तो सन्दर्भ के अनुसार उसकी शब्दावली और वाक्य संरचना में भिन्नता आ जाती है, जिससे उसके भिन्न-भिन्न भाषा रूप उभर आते हैं। राजभाषा हिन्दी की भी वही स्थिति है।

भारत की स्वतन्त्रता के उपरान्त संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जिसके अनुसार प्रशासन के विभिन्न प्रयोजनों के लिए हिन्दी का प्रयोग किया जाता है, परन्तु भारत की भाषाई स्थिति को देखते हुए, प्रशासनिक हिन्दी को यह मानकर प्रतिपादित किया गया है कि प्रशासन में मुख्यतः अँग्रेजी का ही प्रयोग होता है और हिन्दी उसको आधार बनाकर प्रयुक्त होती है। चूँकि व्यावहारिक दृष्टि से राजभाषा हिन्दी और उसकी वाक्य संरचना उसकी प्रकृति से भिन्न है।

हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हिन्दी उत्तराखण्ड की प्रथम राज्य भाषा, सम्पर्क भाषा एवं मातृभाषा है। इसकी दो मुख्य बोलियाँ-गढ़वाली व कुमाऊँनी भाषा का स्थान लेने के लिए प्रयासरत हैं।

उत्तराखण्ड में केन्द्र सरकार की कई औद्योगिक इकाई, निगम, विभाग, संस्थान एवं अनुसन्धान केन्द्र स्थापित हैं। इनके अतिरिक्त भारत हैवी इलेक्ट्रीकल लिमिटेड तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसे सार्वजनिक उपक्रम भी हैं, जो राजभाषा हिन्दी के क्षेत्र में सराहनीय ही नहीं, अपितु अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं।

हिन्दी का वातावरण बनाने की दृष्टि से हिन्दी दिवस या हिन्दी सप्ताह या हिन्दी पखवाड़ा और या हिन्दी माह मनाए जाने का भी महत्व है। अब लगभग सभी सरकारी कार्यालयों में हिन्दी दिवस या हिन्दी सप्ताह या हिन्दी पखवाड़ा और या हिन्दी माह मनाया जाता है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी भाग लेते हैं। इस आयोजन की एक विषेशता यह भी होती है कि इसमें मन्त्रालय, राजभाषा विभाग, विश्वविद्यालयों तथा दूसरे संगठनों आदि से राजभाषा प्रबन्ध विषयक विशेषज्ञ वक्ता आमन्त्रित होते हैं। इस अवसर पर किसी विभाग के प्रमुख से लेकर साधारण कर्मचारी तक को राजभाषा के प्रयोग को पहल करने की आवश्यकता, स्थिति, अपेक्षा उपलब्धि तथा राजभाषा के सम्बन्ध में परिणाम प्राप्त करने के उपाय से एक साथ परिचित होने का अवसर मिलता है। इस आयोजन में त्योहार जैसा वातावरण भी सभी में उत्साह जगाता है। यह ऐसा अवसर होता है, जब हिन्दी के प्रयोग के प्रति केवल प्रेरणा और सद्भावना के वातावरण का सृजन किया जाता है।

राजभाषा विभाग की सलाह है कि हिन्दी माह के उपलक्ष्य में निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। अपनी सुविधानुसार कार्यालय, बैंक, निगम तथा उपक्रम आदि विशेष कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं -

1. कर्मचारियों को सरकार की राजभाषा नीति और राजभाषा सम्बन्धी अधिनियम, नियमों तथा अनुदेशों आदि से परिचित कराना।
2. हिन्दी में टिप्पण/ आलेखन/ टंकण/ आशुलिपि के अभ्यास के लिए कार्यक्रम आयोजित करना।
3. हिन्दी में कार्य करने की प्रेरणा के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा अपील जारी करना तथा निर्देशों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों पर विचार-विमर्श करना।
4. राजभाषा सम्बन्धी प्रचार सामग्री, जैसे- शब्दावली, पत्र-पत्रिकाएँ एवं सन्दर्भ साहित्य आदि का प्रदर्शन तथा वितरण।
5. हिन्दी में हुए या हो रहे कामकाज के नमूनों, जैसे- हिन्दी चेक, टिप्पण तथा आलेखन आदि का प्रदर्शन।
6. द्विभाषी यांत्रिक/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, जैसे- टाइपराइटर, वर्ड-प्रोसेसर तथा कम्प्यूटर आदि के प्रयोग का प्रदर्शन।
7. हिन्दी में आलेख, टिप्पण, टंकण, आशुलिपि, भाषण, वाद-विवाद, निबन्ध तथा काव्यपाठ आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन।
8. हिन्दी में सुरुचिपूर्ण अभिनय, नाटक तथा गीत आदि के कार्यक्रमों का आयोजन।
9. राजभाषा हिन्दी से सम्बन्धित आवधिक रिपोर्टों के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन।
10. हिन्दी में सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र आदि का वितरण।

हिन्दी माह का आयोजन सभी कार्यालयों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राजभाषा प्रश्नोंत्तरी, हिन्दी नोटिंग-ड्राफ्टिंग एवं तकनीकी कुशलता तथा प्रतीक द्वारा शब्द-निर्धारण, स्वरचित कविता-पाठ, अनुच्छेद लेखन, प्रचार वाक्य तथा आषुभाशण आदि प्रतियोगिताएँ आयोजित करती हैं।

हिन्दी माह आयोजन में स्थानीय साहित्यकारों, भाषा वैज्ञानिकों तथा प्राध्यापकों को अतिथियों के रूप में, निर्णायकों के रुप में एवं व्याख्यान देने के लिए आमन्त्रित किया जाता है।

हिन्दी माह के अन्तर्गत 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस का आयोजन किया जाता है। आयोजन के कार्यक्रमों की रिपोर्ट समाचार-पत्रों में प्रकाशित तथा टी.वी. चैनलों में प्रसारित की जाती है। हिन्दी माह आयोजन के समापन समारोह में सफल प्रतियोगियों तथा हिन्दी के लिए चलाई जा रही विविध योजनाओं में उल्लेखनीय योगदान देने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों तथा विभाग को पुरस्कृत किया जाता है।

उत्तराखण्ड के डॉ. विचार दास 'सुमन', डॉ. मुनीराम सकलानी, डॉ. दिनेश चमोला तथा डॉ. सत्यपाल सिंह ने राजभाषा एवं उसके मुख्य अंग अनुवाद में शोधकार्य कर राज्य को गौरवान्वित किया है।

उत्तराखण्ड के प्रादेशिक कार्यालयों तथा राष्ट्रियकृत बैंकों में राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग हो रहा है। उत्तराखण्ड राज्य राजभाषा हिन्दी के व्यवस्थित कार्यान्वयन के लिए 'क' क्षेत्र में आता है। उत्तराखण्ड में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति दूसरे राज्यों के लिए प्रेरणाप्रद है।

विश्व-साहित्य में अपनी निर्विवाद प्राचीनता, महत्ता तथा समृद्ध साहित्य परम्परा के लिए संस्कृत वांग्मय सम्पूर्ण विश्व में सुप्रसिद्ध व सर्वोत्तम है। भारतवर्ष के समस्त प्रान्तों में संस्कृत-भाषा के अध्ययन-अध्यापन की परम्परा नितान्त प्राचीन है। इस भाषा ने भारतीय जन-जीवन एवं उसके साहित्य को प्राचीन काल से ही अनुप्रमाणित किया, जिसका गहन प्रभाव भारतीय मानसिकता पर आज भी परिलक्षित होता है। संस्कृत लेखन की परम्परा को सृष्टि की रचना से जोड़ना कोई अतिश्योक्ति न होगी। सहस्रों वर्षों के उत्थान और पतन की ऐतिहासिक गाथाओं के सूक्ष्म विश्लेषण से यह सुस्पष्ट है कि प्राचीनकाल में समस्त आर्यावृत्त की बोलचाल की भाषा संस्कृत थी। इसी कारण भारतीय जन-जीवन पर इसकी अमिट छाप दृष्टिगोचर होती है। यदि हम भारतीय जन शुद्ध, सात्विक अन्तःकरण से अपने आचार-विचार, धर्म, दर्शन, संस्कृति, सभ्यता, कला, इतिहास तथा वैयक्तिक जीवन का आत्म निरीक्षण करते हुए उस पर चिन्तन-मनन करें, तो हमें निःसन्देह यह अनुभूति होती है और की जा सकती है कि समस्त भारतीयों का जीवन संस्कृतमय था तथा आज भी है।

संस्कृत भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की अमूल्य धरोहर है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। आज देश में ही नहीं, अपितु विदेशों में भी संस्कृत के जानकारों की माँग बढ़ी है।

उत्तराखण्ड देवभूमि है और संस्कृत देवभाषा है। अतः उत्तराखण्ड में संस्कृत को महत्व मिलना स्वाभाविक है। जिसके फलस्वरूप आज संस्कृत उत्तराखण्ड की द्वितीय राजभाषा है। उत्तराखण्ड में संस्कृत विद्वानों की प्राचीनकाल से चली आ रही परम्परा आज भी साहित्य-सृजन में तल्लीनता के साथ अग्रसर है। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में यहाँ बालकृष्ण भट्ट नाम के विख्यात महाकवि हुए हैं। इन्होंने अपनी काव्य-प्रतिभा के कारण से संस्कृत-साहित्य को गौरवान्वित किया है।

उत्तराखण्ड के कुछ प्रमुख विद्वानों एवं साहित्यकारों के नाम इस प्रकार हैं-

योगेन्द्र कृष्ण दौगदित्री, जटाधर मिश्र, महीधर डंगवाल, मुकुन्द दैवज्ञ, राघवानन्द काण्डपाल, ब्रह्मानन्द किमोठी, श्रीधर जमलोकी, विश म्भर दत्त देवरानी, नारायण दत्त षास्त्री, डॉ. पुरुषोत्तम डोभाल, भैरव दत्त धूलिया, वाचस्पति गैरोला, डॉ. जयकृष्ण गोदियाल, डॉ. पार्थ सारथी डबराल, डॉ. लक्ष्मी चन्द्र शास्त्री।

उत्तराखण्ड शासन ने संस्कृत विश्वविद्यालय तथा संस्कृत अकादमी की स्थापना करके, दूसरे राज्यों के लिए अनुकरणीय कार्य किया है। संस्कृत अकादमी राष्ट्रीय स्तर की संगोष्टियों का आयोजन, प्रदेश स्तर पर

विद्यालयों में विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, आम जनता के लिए नाटकों का मंचन तथा विविध पाठ्यक्रमों का संचालन कर रही है। संस्कृत अकादमी के ये प्रयास सराहनीय हैं।

उत्तराखण्ड शासन ने संस्कृत को द्वितीय राज्यभाषा घोषित ही नहीं किया, वरन् वह उसके विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। मुझे वह समय अब दूर नहीं लगता, जब संस्कृत अपना खोया हुआ स्थान पुनः प्राप्त कर लेगी।

सन्दर्भ -

1. राजभाषा नीति कार्यान्वयन - हरि बाबू कंसल
2. राजभाषा प्रबन्ध - गोर्वधन ठाकुर
3. गढ़वाल संस्कृति कला एवं साहित्य – डॉ. जे.के. गोदियाल एवं डॉ. कुसुम डोबरियाल